**बिहार सरकार**

**अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग**

**आदेश**

श्री रमेश प्रसाद मंडल (प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शेखोपुर सराय, शेखपुरा वर्त्तमान प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, पूर्णिया के विरूद्ध दिनांक–07.08.10 को अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, मोबाईल बंद रखने, निर्वाचन जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर बिना किसी सूचना के मुख्यालय से बाहर रहने, कार्य के प्रति लापरवाही एवं विरोधाभासी अवकाश आवेदन देने के आरोप में जिला पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा पत्रांक–321 दिनांक–08.08.14 के माध्यम से प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराया गया।

2. प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय आदेश–सह–ज्ञापांक–2695 दिनांक–04.12.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी, शेखपुरा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी–सह–जिला कल्याण पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा अपने पत्रांक–42 दिनांक–13.01.2016 एवं पत्रांक–597 दिनांक–06.07.16 के माध्यम से अधिगम उपलब्ध कराया गया। मंतव्य में संचालन पदाधिकारी ने श्री मंडल के दिनांक–07.08.2010 को मुख्यालय में उपस्थिति की पुष्टि नहीं की है अर्थात् दिनांक–07.08.10 को अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के आरोप को सत्य पाया है। दिनांक–11.08.2010 से 19.08.2010 तक अवकाश विस्तारण हेतु आवेदन पत्र का साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने तथा इस अवधि की अवकाश स्वीकृति जिला पदाधिकारी द्वारा दिये जाने के संबंध में साक्ष्य अनुपलब्धता अंकित की गई है।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोपों के आलोक में श्री मंडल से विभागीय पत्रांक–2093 दिनांक–03.08.2016 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई।

5. जिला कल्याण पदाधिकारी पूर्णियाँ के पत्रांक–868 दिनांक–16.08.16 के माध्यम से श्री मंडल की द्वितीय कारण पृच्छा प्राप्त हुई। द्वितीय कारण पृच्छा में श्री मंडल ने दिनांक–07.08.2010 को कार्यालय में उपस्थित होने एवं स्वास्थ्य खराब होने के कारण जिला समन्वय समिति की बैठक एवं जिला परिषद् की बैठक में भाग नहीं ले सकने की सूचना पत्रांक–538 दिनांक– 07.08.2010 द्वारा जिला पदाधिकारी, शेखपुरा को दी जाने की बात अंकित की है। साक्ष्य के रूप में संबंधित निर्गत पंजी की छायाप्रति संलग्न की गई है। परंतु जिला पदाधिकारी के कार्यालय में संगत पत्र की प्राप्ति संबंधी साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया। दिनांक–11.08.2010 से 19.08.2010 तक अवकाश विस्तारण हेतु आवेदन पत्र दिए जाने एवं जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा अवकाश की स्वीकृति दिये जाने का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।

25 R.S Anil babu

6. संचालन पदाधिकारी के अधिगम एवं मंतव्य तथा आरोपी पदाधिकारी, श्री मंडल द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री मंडल को आंशिक रूप से दोषी पाये जाने के फलस्वरूप श्री रमेश प्रसाद मंडल पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 की धारा 14 के तहत् निन्दन एवं संचयी प्रभाव के बिना एक वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

7. उपरोक्त दण्ड के साथ विभागीय आदेश–सह–ज्ञापांक 2695 दिनांक–04.12.2014 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही तदनुसार निष्पादित किया जाता है।

8. उपरोक्त में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–3जी/क0निग0–40–33/2012– पटना, दिनांक–

**प्रतिलिपिः**–जिला पदाधिकरी, शेखपुरा।

2. जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ।
3. उप निदेशक कल्याण, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।
4. उप निदेशक कल्याण, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।
5. जिला कल्याण पदाधिकारी, शेखपुरा।
6. जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्णियाँ।
7. कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पूर्णियाँ।
8. अवर सचिव, अराजपत्रित स्थापना शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जानजाति कल्याण विभाग, पटना।
9. सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–3जी/क0निग0–40–33/2012– पटना, दिनांक–

निबंधित

**प्रतिलिपिः**– श्री रमेश प्रसाद मंडल, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–3जी/क0निग0–40–33/2012– 2430 पटना, दिनांक–12.09.16

**प्रतिलिपिः**–आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई–मेल करने के निदेश सहित प्रेषित।

8/9/16

9/9/16
सरकार के संयुक्त सचिव।

26 R.S Anil babu